बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–69 / 2016 329 / कृ0, पटना, दिनांक 27/1/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राज्य के 23 जिले में केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (PMKSY Per Drop More Crop) के अन्तर्गत केन्दांश मद में 2961.958 लाख (उनतीस करोड़ इकसठ लाख पनचानवे हजार आठ सौ) रूपये तथा राज्यांश मद में 1974.578 लाख (उनीस करोड़ चौहत्तर लाख सनतावन हजार आठ सौ) रूपये कुल 4936.536 लाख (उनचास करोड़ छतीस लाख तीरपन हजार छः सौ) रूपये की लागत पर जल स्रोत का निर्माण/जीर्णोद्धार, संरक्षित जल को बिना अपव्यय के सिचाई हेतु खेत तक पहुँचाने का साधन विकसित करने की योजना की स्वीकृति तथा इसके अधीन वर्ष 2016–17 के लिए तत्काल भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 2160.00 लाख (इक्कीस करोड़ साठ लाख) रु0 एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 1440.00 लाख (चौदह करोड़ चालीस लाख) रु0 कुल 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रु0 निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के 23 जिले यथा बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, सारण एवं सिवान में केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (PMKSY Per Drop More Crop) के अन्तर्गत केन्दांश मद में 2961.958 लाख (उनतीस करोड़ इकसठ लाख पनचानवे हजार आठ सौ) रूपये तथा राज्यांश मद में 1974.578 लाख (उनीस करोड़ चौहत्तर लाख सनतावन हजार आठ सौ) रूपये कुल 4936.536 लाख (उनचास करोड़ छतीस लाख तीरपन हजार छः सौ) रूपये की लागत पर जल स्रोत का निर्माण/जीर्णोद्धार, संरक्षित जल को बिना अपव्यय के सिचाई हेतु खेत तक पहुँचाने का साधन विकसित करने की योजना की स्वीकृति तथा इसके अधीन वर्ष 2016–17 के लिए तत्काल भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 2160.00 लाख (इक्कीस करोड़ साठ लाख) रु0 एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 1440.00 लाख (चौदह करोड़ चालीस लाख) रु0 कुल 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रु0 निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के पत्र संख्या–19–7 / 2016 RFS III दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्रमशः 1790.00 लाख रूपये, 340.00 लाख रूपये एवं 30.00 लाख रूपये अर्थात कुल 2160.00 लाख रूपये विमुक्त किये गये है। तत्काल इसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 1440.00 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से अवशेष राशि की विमुक्ति के उपरांत समानुपातिक राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

E:\ABHINAV\2016-17\PMKSY (Per Drop More Crop) Soil Conser\Sanlekh Emp. Com. IWMP Per Drop More Crop 0101.docx

27.1.2017

2. केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित राज्य के अक्सर सूखे से प्रभावित रहने वाले कुल 23 जिले यथा बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, सारण एवं सिवान में प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. वैसे जिलों के चिन्हित प्रखंड जहाँ IWMP परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्य चरण में है का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। शेष जिलों के चिन्हित प्रखंडों में स्थल विशेष के तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यमद का चयन किया जायेगा। यह कार्य ग्रामीण भागीदारी मूल्यांकन (PRA) के माध्यम से भूमि संरक्षण के तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए net planning कर किया जायेगा। चयनित योजना स्थल का योजना कार्यान्वयन के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात अक्षांश देशान्तर युक्त फोटो भुवन पोंटल पर अनिवार्य रुप से अपलोड किया जायेगा ताकि चयनित स्थल एवं योजना की प्रगति को आनलाईन देखा जा सकेगा। बी0डब्लू0डी0एस0 कार्यालय में जी0आई0एस0 लैब स्थापित है। योजनान्तर्गत निजी भूमि पर होने वाले कार्यो के लिए चिन्हित प्रखंड के कृषको से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार जांचोपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

4. प्रस्तावित योजना के माध्यम से जल संचयन संरचना का निर्माण/जीर्णोद्धार के साथ–साथ संरक्षित जल का बेहतर प्रबंधन कर खेत तक पानी पहुँचाने के साधन विकसित किया जायेगा। योजनान्तर्गत कुल 1348 जल संचयन संरचना का निर्माण, 130 सामुदायिक तालाब का जीर्णोद्धार (गाद की सफाई) 397 सामुदायिक बोरवेल 3988 यूनिट पाईप के माध्यम से जल का सम्प्रेषण आदि का कार्य किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जायेगा। दिनांक 21.07.2016 को आयोजित SLSC की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सरकारी एवं सामुदायिक तालाब का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा (अनुसूची–1 संलग्न)।

5. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा पूर्व में किये गये कार्य तथा वर्तमान में प्रस्तावित कार्यक्रमों/कार्यमदों में डुप्लीकेसी की संभावना को समाप्त करने के लिए मुख्य रुप से योजना क्षेत्र का अक्षांश–देशान्तर लिया जायेगा एवं संबंधित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी को योजना की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जायेगी। PMKSY WD जिले में इस योजना के कार्यमदों को PMKSY WD (IWMP) के DPR में शामिल करने के उपरान्त ही कार्य आरंभ किया जायेगा। इस परियोजना हेतु निर्धारित कार्यमद को कालांतर में PMKSY की दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सिचाई एवं जिला सिचाई योजना (DIP) के साथ एकीकृत कर लिया जायेगा।

6. जीर्णोद्धार कार्य की स्थिति में कार्य आरंभ करने के पूर्व सम्बंधित विभाग की अनुमति प्रांप्त करना अनिवार्य होगा। योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात व्यय की गई राशि एवं कराये गये कार्यो का विवरण भी संबंधित विभाग को उपलबध कराने की अनिवार्यता योजना कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

7. योजनान्तर्गत सरकारी एवं सामुदायिक भूमि तथा जलछाजन क्षेत्र में कराये जाने वाले सभी कार्य (यथा विभिन्न आकार के तालाब, डगवेल एवं सामुदायिक बोरवेल का निर्माण, पाइप के माध्यम से खेत तक सिचाई हेतु जल पहुँचाना, एवं सामुदायिक तालाब का जीर्णोद्धार आदि का कार्य) लाभुक समूहों के द्वारा समिति बनाकर कराया जायेगा। जलछाजन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि पर होने वाले कार्यो के लिए योजना हेतु चिन्हित प्रखंड के कृषको से आवेदन प्राप्त कर स्थल जाँच के उपरान्त नियमानुसार योजना का चयन किया जायेगा। निर्मित संरचनाओं की देख–रेख निर्माण के बाद उससे जुड़े संबंधित कृषक/कृषको की समिति द्वारा की जायेगी।

8. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास पटना से स्वीकृत राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0–46 पर की जायेगी तथा बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-265 में अंतरित/जमा की जायेगी। यह निकासी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS पटना से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आलोक में की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरुप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवर्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

10. योजना अंतर्गत बजट शीर्ष उपबंधित राशि एवं स्वीकृति राशि की सूची निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्यय हेतु राशि
केन्द्रांश			
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0218 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, विपत्र कोड–P2401001090218, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	6053.060	2454.577	1790.00
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0239 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, विपत्र कोड– P2401007890239, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	1561.970	466.240	340.000
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0261 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड– P2401007960261,विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	157.330	41.141	30.000
योग	**7772.360**	**2961.958**	**2160.000**
राज्यांश			
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0318 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, विपत्र कोड–P2401001090318, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	3941.540	1636.365	1193.333
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0339 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड–P2401007890339, विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	1010.650	310.806	226.667
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0361 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, मॉग संख्या–01, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड– P2401007960361,विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	101.060	27.407	20.000
योग	**5053.250**	**1974.578**	**1440.000**
सकल योग	**12825.610**	**4936.536**	**3600.000**

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–69/2016 के पृ0सं0– 23/टि0 पर दिनांक : 17.01.2017 को प्राप्त है।

E:\ABHINAV\2016-17\PMKSY (Per Drop More Crop) Soil Conser\Sanlekh Emp. Com. IWMP Per Drop More Crop 0101.docx

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–69/2016 के पृ0सं0– 26/टि0 पर दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.1.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 329 /कृ0, पटना दिनांक– 27-01- 2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 329 /कृ0, पटना दिनांक– 27-01- 2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 329 /कृ0, पटना दिनांक– 27-01- 2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 329 /कृ0, पटना दिनांक– 27-01- 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।